भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1906

मंगलवार, दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा को अपनानाऔर वर्ष 2030 के लिए जलवायु लक्ष्य</u>

1906. श्री कपिल सिब्बलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के वर्ष 2030 के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा को और अधिर अपनाए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में दर्शायी गई सौर और पवन ऊर्जा की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(घ) मंत्रालय वर्ष 2030 के जलवायु लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर किस प्रकार नज़र रखेगा?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 के लिए भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप, नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु किए गए उपाय **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ख) दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 116.25 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता और 51.67 गीगावाट पवन विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रावधान का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्रोत-वार स्थापित क्षमता पर व्यापक डेटा रखता है, जिसे मासिक आधार पर अद्यतित किया जाता है।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और वर्ष 2030 के लिए जलवायु लक्ष्य' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1906 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 के लिए भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप नवीकरणीय उर्जा, विशेष रुप में सौर और पवन ऊर्जा को अपनाने के लिए किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक तथा अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।

- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक-II

'नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और वर्ष 2030 के लिए जलवायु लक्ष्य' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1906 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

चल रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों का विवरण

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>क) पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना</td><td>1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td></tr>
<tr><td>4</td><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
</table>
2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम की स्थापित बेस क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है;</td></tr>
</table>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है। 3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित कर दिया गया है। 4. इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
ख) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।
ग) पीएलआई योजना 'राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम'	लाभार्थी, सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन और बिक्री पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं। वितरण के लिए पात्र पीएलआई की मात्रा निर्भर करती है: (i) सौर पीवी मॉड्यूलों की बिक्री की मात्रा; (ii) बेचे गए सौर पीवी मॉड्यूलों के प्रदर्शन मानदंड (दक्षता और अधिकतम विद्युत का ताप गुणांक (टेंपरेचर कोएफिशियेंट)); और (iii) बेचे गए मॉड्यूलों में स्थानीय मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता।
घ) सौर पार्क योजना	(क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। (ख) सौर पार्कों की साझा अवसंरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।
ङ) पीएम-कुसुम योजना	**घटक-क:** 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	घटक-ख: 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। **घटक-ग:** फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।
च) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना (अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए)	(क) जीईसी चरण-I (इंट्रा-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता। (ख) जीईसी चरण-II (इंट्रा-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता। (ग) जीईसी चरण-II (इंटर-स्टेट): डीपीआर लागत अथवा आवंटित लागत, इनमें से जो भी कम हो, की 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता।
छ) बायोमास कार्यक्रम	(क) ब्रिकेट निर्माण संयंत्र के लिए: 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना) (ख) गैर-खोई सह-उत्पादन परियोजना के लिए: 40 लाख रु. प्रति मेगावाट (स्थापित क्षमता पर) (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना)

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	(ग) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक **16.07.2024 से पहले** प्राप्त हुए हैं 9 लाख रु. प्रति एमटीपीएच (मीट्रिक टन/घंटे) (अधिकतम सीएफए - 45 लाख रु. प्रति परियोजना) (घ) उन पेलेट संयंत्रों के लिए जिनके आवेदन दिनांक **16.07.2024 को या उसके बाद** प्राप्त हुए हैं: i. गैर-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिएः 21 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रु. प्रति परियोजना) ii. टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र के लिएः 42 लाख रु./एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 एमटीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए ध्यान में ली गई पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो (अधिकतम 210 लाख रु. प्रति परियोजना)
ज) अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम	(क) बायोगैस उत्पादन के लिए: 0.25 करोड़ रु. प्रति 12,000 घन मीटर प्रति दिन (अधिकतम सीएफए - 5 करोड़ रु. प्रति परियोजना) (ख) बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन: (अधिकतम सीएफए - 10 करोड़ रु. प्रति परियोजना) i. नए बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 4.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन ii. मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायो-सीएनजी उत्पादन - 3.0 करोड़ रु. प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (ग) बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए: (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना) i. नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.75 करोड़ रु. प्रति मेगावाट ii. मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन: 0.5 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (घ) जैव (बायो) एवं कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन (दहन प्रक्रिया के जरिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को छोड़कर) के लिए: 0.40 करोड़ रु. प्रति मेगावाट (अधिकतम सीएफए - 5.0 करोड़ रु. प्रति परियोजना) (ङ) विद्युत/थर्मल अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफायर: i. विद्युत अनुप्रयोग के लिए ड्यूअल फ्यूल इंजन के साथ 2,500/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	ii. विद्युत अनुप्रयोग के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15,000/- रु. प्रति किलोवाट समतुल्य iii. थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रु. प्रति 300 किलोवाट थर्मल समतुल्य नोट: • यदि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र विशेष श्रेणी वाले राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित किए जाते हैं, तो पात्र सीएफए उपर्युक्त मानक सीएफए पैटर्न से 20% अधिक होगी। • गौशाला द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त उद्यमों/साझेदारी के जरिए स्थापित, मुख्य फीडस्टॉक के रूप में पशु गोबर पर आधारित बायोगैस/बायो-सीएनजी/विद्युत (बायोगैस आधारित) उत्पादन संयंत्र, मानक सीएफए पैटर्न से 20% से अधिक सीएफए के लिए पात्र होंगे। ये गौशाला (शेल्टर) संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकृत होने चाहिए।
झ) बायोगैस कार्यक्रम	(क) लघु बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर प्रति दिन क्षमता के संयंत्र) के लिए घन मीटर में संयंत्र के आकार के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800/- रु. से 70,400/- रु. (ख) विद्युत उत्पादन के लिए प्रति किलोवाट 35,000/- रु. से 45,000/- रु. और थर्मल अनुप्रयोगों के लिए प्रति किलोवाट समतुल्य 17,500/- रु. से 22,500/- रु. (25-2500 घन मीटर प्रति दिन संयंत्र क्षमता)। पात्र सीएफए पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20% अधिक होगा।
ञ) आर एंड डी कार्यक्रम	मंत्रालय, उद्योग के सहयोग से अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास प्रस्तावों को बढ़ावा देता है और सरकारी/गैर-लाभकारी वाले अनुसंधान संगठनों को 100% और उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और निर्माण इकाईयों को 70% वित्तीय सहायता देता है।
ट) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन	• इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए साइट कार्यक्रम के तहत 4,440 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। प्रोत्साहन की राशि प्रथम वर्ष में 4,440 रु. प्रति किलोवाट से शुरु होती है और पांचवें वर्ष में 1,480 रु. प्रति किलोवाट पर समाप्त होती है। • ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसके डेरिवेटिव्स के लिए साइट कार्यक्रम हेतु 13,050 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td></td><td>

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 50 रु./कि.ग्रा., 40 रु./कि.ग्रा. और 30 रु. /कि.ग्रा. निर्धारित की गई है।
ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए, उत्पादन एवं आपूर्ति के प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि 8.82 रुपए प्रति कि.ग्रा., उत्पादन एवं आपूर्ति के दूसरे वर्ष में 7.06 रुपए प्रति कि.ग्रा., तथा उत्पादन एवं आपूर्ति के तीसरे वर्ष में 5.30 रुपए प्रति कि.ग्रा. है।

वित्त वर्ष 2025-26 तक परिवहन क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए परिव्यय 496 करोड़ रु. है।
वित्त वर्ष 2025-26 तक नौवहन क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के लिए परिव्यय 115 करोड़ रु. है।
वित्त वर्ष 2029-30 तक इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के लिए परिव्यय 455 करोड़ रु. है।
वित्त वर्ष 2025-26 तक हाइड्रोजन हब के लिए परिव्यय 200 करोड़ रु. है।
वित्त वर्ष 2025-26 तक मिशन के आर एंड डी कार्यक्रम का बजट 400 करोड़ रु. है।
वित्त वर्ष 2029-30 तक मिशन के कौशल विकास घटक के लिए परिव्यय 35 करोड़ रु. है।
वित्त वर्ष 2025-26 तक मिशन के परीक्षण घटक के लिए परिव्यय 200 करोड़ रु. है।
वित्त वर्ष 2025-26 तक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नई एवं उन्नत तकनीकों और अनुप्रयोगों के लिए परिव्यय 200 करोड़ रु. है।

</td></tr>
<tr><td>ठ) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजाति और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)</td><td>
<table>
<tr><th>घटक</th><th>केंद्रीय भाग (100%)</th></tr>
<tr><td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रु. प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार</td></tr>
<tr><td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)</td><td>प्रति एमपीसी 1 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)</td><td>20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन	
		क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट
